तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.6.18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा के अंतर्गत लोक अदालत कैम्प कोर्ट डीडायच (अटलसेवा केन्द्र) में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा वादी द्वारा चाही गयी दुरुस्ती व उद्घोषणा करवाने हेतु सहमति अभिव्यक्त करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी श्री ओमप्रकाश पु. रामकिशोर जाति महाजन को ग्राम बन्देड़िया में साबिक खसरा 8 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। उक्त आवंटित भूमि का कब्जा उन्हे 8.7.1973 को करवा दिया गया। परन्तु उक्त आवंटन के आदेश की पालना में दर्ज ना.स. 114 में ओमप्रकाश पु. राम किशोर जाति ब्राह्मण अंकित कर दिया गया। दौराने सेटलमेंट साबिक खसरा 8 के नवीन खसरा 369/976 रकबा 1.27 हेक्टर बना दिये गये एवं उक्त नवीन खसरा के संबंध में रिकॉर्ड ना.स. 114 के आधार पर वादी की जाति ब्राह्मण दर्ज कर दी गयी जो दुरुस्त कर खातेदारी अधिकार की उद्घोषणा की जावे। प्रतिवादी तहसीलदार के जवाब अनुसार ग्राम बन्देड़िया स्थित आराजी खसरा (नवीन) 369/976 रकबा 1.27 हेक्टर के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड चालू जमाबंदी में ओमप्रकाश पु. रामकिशोर जाति ब्राह्मण के स्थान पर ओम प्रकाश पु. राम किशोर जाति महाजन दुरुस्त किया जाना उचित है। उभयपक्ष के मध्य आता गया अनुतोष दिये जाने बाबत सहमति सम्मति होने के आधार पर पत्रावली इस प्रकार निर्णित की जाती है कि ग्राम बन्देड़िया स्थित नवीन अराजी खसरा 369/976 रकबा 1.27 हेक्टर की खातेदारी ओमप्रकाश पु. रामकिशोर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	जाति ~~[illegible]~~ ब्राह्मण की बजाय ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर जाति महाजन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करते हुए अंकित की जावे एवं खसरा. 369/976 रकबा 1.27 हेक्टर का ओमप्रकाश पु. रामकिशोर जाति महाजन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो दर्ज नं. से कम हो। [signature]	